

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 801

दिनांक 27/05/25

अनवान :-

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

जमनादेवी बनाम मरुवत वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 318/2024

दिनांक : 27.05.2025

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र ईटादा के मौजा इटादिया के खेत खसरा सं. 825/437 रकबा 04.8562 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।


आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हो, प्रार्थीनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।




क्रमांक/भू.अ./2025/ 802 to 805

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीनी जमनादेवी
3. विप्रार्थीगण मरुवत वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन 06  
दिनांक 27/05/25

  
(कुसुमलता [QR Code])  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन